**" अति आवश्यक "**

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर

## // ज्ञापन//

C/4241

क्रमांक ............/चार-12-5/23 जबलपुर,दिनांक 19/06/2025

प्रति,

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**(.....मध्यप्रदेश के राज्य के समस्त)**

विषयः- मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में विभाग द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना के पालन की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के बावत्।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 1679/21-ब(एक)/2025, दिनांक 02-05/04/2025।

--00--

आपकी ओर मध्यप्रदेश शासन,विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 1679/21-ब(एक)/2025, दिनांक 02-05/04/2025 की प्रति (संलग्न प्रपत्र-एक) प्रेषित कर लेख है कि, **संलग्न प्रपत्र-एक के स0क्र0 01 में उल्लेखित जानकारी** के संबंध में आपकी स्थापना से दिनांक 01/01/2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए म0प्र0 न्यायिक सेवा के अधिकारियों (MPJS) के पेंशन का पुनरीक्षण की जानकारी इस रजिस्ट्री को दिनांक 20/06/2025 तक अनिवार्यतः इस **ई-मेल आई.डी.(ag1budgethcjbp@mp.gov.in)** के माध्यम से प्रेषित (केवल ई-मेल के माध्यम से) करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(रविशंकर डेकाटे)
ओ0एस0डी0(लेखा)

डेमन

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1679/21—ब(एक)/2025 भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :— मंत्रि—परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में विभाग द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना के पालन की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ:— माननीय मुख्य सचिव कार्यालय की टीप दिनांक 16.04.2025 एवं 22.04.2025।

*****

उपर्युक्त संदर्भित टीप के माध्यम से मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मंत्रि—परिषद् समिति की दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि में आयोजित बैठकों में इस विभाग से संबंधित प्रकरणों पर लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में प्रपत्र—01 अनुसार जारी विभागीय आदेश/अधिसूचना की वास्तविक अनुपालन की अद्यतन जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशानुसार संबंधित पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर माननीय मंत्रिपरिषद् को अवगत कराया जा सके।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

( नरेन्द्र प्रताप सिंह )
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
07 MAY 2025
Regd. No. 22532
Receipt Clerk
High Court

नियमित पत्र फाईल

प्रपत्र–एक

## मंत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश/ अधिसूचना

| स. क्र. | निर्णय दिनांक | विषय | लिया गया निर्णय | विभागीय आदेश/अधिसूचना क्रमांक/दिनांक | अपेक्षित जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.12.2024 | मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11 के उपनियम–1 में खण्ड (तीनक) को प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में। | निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11 के उपनियम–1 में खण्ड (तीनक) को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 26.11.2024 के साथ परिशिष्ट–4 पर संलग्न अनुसार संशोधित अधिसूचना का अनुमोदन किया जावे। | अधिसूचना फा. क्रमांक 4989/21–ब(एक)/2024, दिनांक 17/12/2024 जारी की गई। | उच्च न्यायालय से वास्तविक स्थिति अपेक्षित। |
| 02 | 05.11.2024 | श्रीमती संगीता मदान, उच्च न्यायिक सेवा की सदस्य को दिनांक 10.12.2014 से दिनांक 31.01.2020 तक की अवधि के लिए स्थायीकरण किए जाने हेतु जिला जज (प्रवेश स्तर) के अतिरिक्त /(Supernumerary) सांख्येत्तर पद के सृजन के संबंध में। | निर्णय लिया गया कि –<br>1– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि.) मिस एक्स विरूद्ध रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के अनुपालन में श्रीमती संगीता मदान, उच्च न्यायिक सेवा की सदस्य, वर्तमान पदस्थापना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को वरिष्ठता का लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 10.12.2014 से दिनांक 31.01.2020 तक की अवधि के लिए जिला जज (प्रवेश स्तर) के एक अतिरिक्त (Supernumerary) /सांख्येतर पद का सृजन किया जावे।<br>2– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कण्डिका 97 "Through the Petitioner would not be entitled to back wages..."अनुसार सांख्येतर पद के सृजन से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार देय नहीं होगा। | विभागीय आदेश फा. क्रमांक 4445/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 12/11/2024 जारी किये गये। | उच्च न्यायालय से वास्तविक स्थिति अपेक्षित। |

| स. क्र. | निर्णय दिनांक | विषय | लिया गया निर्णय | विभागीय आदेश/अधिसूचना क्रमांक/दिनांक | अपेक्षित जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04.12.2024 | स्व. श्री पंकज श्रीवास्तव, 17वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने बावत्। | निर्णय लिया गया कि स्व. श्री पंकज श्रीवास्तव, 17वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा स्वयं का राज्य के बाहर चिकित्सालय में कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के देयक राशि रूपये 67,41,515/– में से पैकेज की निर्धारित राशि रूपये 4 लाख का भुगतान किए जाने के पश्चात् शेष देयक राशि रूपये 63,41,515/– का भुगतान की सेवा पुस्तिका में दर्ज नामिनी को, की जावे। | विभागीय आदेश क्रमांक 4952/21–ब(एक) दिनांक 16.12.2024 द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। | उच्च न्यायालय से वास्तविक स्थिति अपेक्षित। |
| 04 | 11.03.2024 | रिट याचिका (सि.) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ व अन्य के मामले में दिनांक 04/01/2024 का पालन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य के सेवा के सदस्यों एवं सेवानिवृत्त सदस्यों को दिये जाने वाले भत्तों का पुनः निर्धारण किए जाने बावत्। | निर्णय लिया गया है कि रिट याचिका (सि.) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशनं विरूद्ध भारत संघ व अन्य के मामले में दिनांक 04/01/2024 का पालन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य के सेवा के सदस्यों एवं सेवानिवृत्त सदस्यों को दिये जाने वाले भत्तों का पुनः निर्धारण किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाये। | विभागीय आदेश क्रमांक 1127/21–ब(एक)/2024 दिनांक 15/03/2024 द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। | उच्च न्यायालय से वास्तविक स्थिति अपेक्षित। |

1.5.2025

( नरेन्द्र प्रताप सिंह )
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग